भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2540

उत्तर देने की तारीख: 05.08.2025

घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए कार्यक्रम

2540. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान में घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों जैसे रायका, बंजारा या गाडोलिया लोहार समुदायों के लिए कोई लक्षित योजनाएँ या कार्यक्रम बनाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान क्रियान्वित ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और आवास, आजीविका और शिक्षा के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुदाय-आधारित परिसंपत्ति निर्माण या कौशल प्रशिक्षण को इन योजनाओं में जोड़ा गया है; और

(घ) राजस्थान में ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जिलेवार कितने लाभार्थियों की पहचान की गई है और उन्हें क्या सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड, वित्तीय वर्ष 2021-2022 से विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की स्कीम (सीड) कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में राजस्थान के रायका, बंजारा या गाडोलिया लोहार जैसे घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय शामिल हैं। यह योजना निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करती है:

(i) शैक्षिक सशक्तिकरण: उन्हें निःशुल्क कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अच्छे संस्थानों में प्रवेश पा सकें/सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें।

(ii) स्वास्थ्य: डीएनटी समुदायों में आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा रहे हैं।

(iii) आजीविका: डीएनटी समुदायों के समूहों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है ताकि उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम बनाया जा सके।

(iv) भूमि एवं आवास: पीएमएवाई-जी/पीएमएवाई-यू, अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत डीएनटी समुदायों को आवास उपलब्ध कराने की सुविधाएं प्रदान की जाती है।

(ग): डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की स्कीम (सीड) का एक उद्देश्य उनकी पारंपरिक कला को बचाने के लिए पहल करना और आजीविका घटक के तहत उनके विपणन संपर्कों को सुविधाजनक बनाना है। उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाती है।

(घ): सीड का आजीविका घटक राजस्थान के 20 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। निःशुल्क कोचिंग घटक के अंतर्गत, 23 विमुक्ति जनजाति (डीएनटी) समुदायों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की गई है तथा आजीविका घटक के अंतर्गत, अब तक 799 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए गए हैं, जिनसे 10,104 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान राज्य में आजीविका घटक के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और लाभार्थियों तथा सीड योजना के निःशुल्क कोचिंग घटक के अंतर्गत लाभार्थियों का जिलावार विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

संलग्नक

घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए कार्यक्रम के संबंध में श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2540, जिसका उत्तर दिनांक 05.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

राजस्थान राज्य में निःशुल्क कोचिंग में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और लाभार्थियों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिलों के नाम	आजीविका घटक के अंतर्गत अब तक गठित स्वयं सहायता समूह	आजीविका घटक के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	निःशुल्क कोचिंग में लाभार्थियों की संख्या
1	भरतपुर	52	820	--
2	चित्तौड़गढ़	55	712	02
3	दौसा	59	874	--
4	धौलपुर	24	382	--
5	जयपुर	56	848	--
6	करौली	60	780	--
7	अलवर	46	584	--
8	कोटपोतली-बहरोड़	23	236	--
9	डीग	37	444	--
10	खैरताल-तिजारा	18	216	--
11	सवाई माधोपुर	20	228	--
12	बाड़मेर	98	1176	--
13	जोधपुर	39	468	--
14	जैसलमेर	42	456	--
15	बीकानेर	50	575	04
16	बाल्टोरा	22	264	--
17	जालोर	30	275	--
18	फलोदी	30	310	--
19	पाली	23	276	--
20	उदयपुर	15	180	02
21	टोंक	--	--	06
22	श्री गंगानगर	--	--	02
23	हनुमानगढ़	--	--	05
24	चूरू	--	--	01
25	सीकर	--	--	01
	कुल	**799**	**10104**	**23**

*****